

प्रेस नोट –

थाना बबीना, झाँसी

दिनांक 12.04.2025

अवैध असलहा-कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना बबीना पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुकवां डुकवां रोड पर झाँसी ललितपुर हाईवे की पुलिया के पास जाने वाले कच्चे रास्ते से दिनांक 11.04.2025 समय 23:13 बजे अभियुक्त अशोक सेन पुत्र स्व0 भाग सिंह सेन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 न्यू पम्प हाउस रोड कस्बा व थाना बबीना, झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। उक्त सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बबीना पर मु0अ0सं0 087/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त का नाम/पता- अशोक सेन पुत्र स्व0 भाग सिंह सेन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मु0 न्यू पम्प हाउस रोड कस्बा व थाना बबीना, झाँसी

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 087/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीबना जनपद झाँसी ।

बरामदगी— 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा थाना बबीना जनपद झाँसी ।
- 2.उ0नि0 श्री गम्भीर सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी ।
- 3.का0 120 महेश चन्द्र थाना बबीना जनपद झाँसी ।

